


न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर

श्री. धर्मचंद्र पटेल का
द्वारा आज दि. 22.8.16 को
प्रस्तुत



कसक ऑफ कोर्ट 8-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

फूलचंद मालवीय आयु करीब 82 वर्ष

सि.नं. - 2846-POB-K

(66)

आत्मज स्व. श्री बहूलाल मालवीय

निवासी ग्राम रायपुर तहसील व जिला होशंगाबाद.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. नीता पुत्री श्री विजय शंकर निवासी ग्राम रायपुर तहसील व जिला होशंगाबाद
2. ज्योति पुत्री श्री विजय शंकर निवासी पटेल गढ़ी ग्राम पंचायत रायपुर तहसील व जिला होशंगाबाद
3. विकास मालवीय आयु करीब 45 वर्ष आत्मज श्री फूलचंद मालवीय
4. अभिनव मालवीय आयु करीब 25 वर्ष आत्मज श्री कैलाश मालवीय
5. अभिषेक मालवीय आयु करीब 21 वर्ष आत्मज श्री कैलाश मालवीय उपरोक्त तीनों निवासी ग्राम रायपुर तहसील व जिला होशंगाबाद.....उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता

याचिकाकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व होशंगाबाद के समक्ष लंबित प्रकरण क्र.48/याचिका/अ-6/2015-16 मौजा ग्राम रायपुर तहसील व जिला होशंगाबाद जिसके पक्षकार नीता व अन्य बनाम विकास व अन्य हैं में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 08.07.2016 जिसके आधार पर इस याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को न तो अभिलेख पर लिया गया है और न ही उस पर कोई कार्यवाही की गई है और प्रकरण में दिनांक 15.07.2016 आदेश पारित कर दिया गया है। उक्त पारित आदेश दिनांक 15.07.2016 से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर याचिकाकर्ता की यह पुनरीक्षणयाचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है :-


(Handwritten signature)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2846-पीबीआर/16

जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-12-2016	<p>आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण नहीं चलाने का निवेदन किया गया । निवेदन स्वीकार किया जाता है । आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है ।</p>	<p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>